क्या वैश्वीकरण को सुलझाया जा रहा है?

साभार : लाइव मिंट
27 अक्टूबर, 2017

मोंटेक सिंह अहलूवालिया
(पूर्व योजना आयोग के उपाध्यक्ष)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

औद्योगिकीकृत देशों में वैश्वीकरण बहुत खराब तरह से पेश किया जा रहा है। केवल 10 साल पहले आक्रामक तरीके से 'विन-विन' (win-win) विकास के लिए सभी के लिए टाल दिया जा रहा है, जो अब वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं के लिए दोषी है। हाल के चुनाव के नतीजे बताते हैं कि इन देशों में अभिजात वर्ग पूरी तरह से बदनाम हो चुके हैं। अनिवार्य रूप से, इसने पारंपरिक रूप से उनके साथ जुड़े विशेषज्ञता को बढ़ा दिया है। दुर्भाग्यपूर्ण लोकलुभावन समाधानों का कर्षण प्राप्त करने का एक वास्तविक खतरा दिख रहा है।

क्या वैश्वीकरण का भविष्य है?

वैश्वीकरण मरा नहीं है, लेकिन यह विश्राम अवस्था में जरूर प्रतीत होता है। यह पूंजी लोगों और व्यापार के व्यापक आंदोलन के सन्दर्भ में थी। निजी पूंजी का आंदोलन दो योग्यताओं के साथ पहले ही जारी है। जिसमें सबसे पहला वैश्विक वित्तीय स्थिरता के बारे में चिंता व्यापक हैं। दूसरा, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) जैसे पारंपरिक बहुपक्षीय विकास बैंकों का थोड़ा समर्थन है। उच्च शिक्षा के लिए लोगों के आंदोलन, वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू कभी मुफ्त नहीं था, यहां तक कि अब इसे प्रतिबंधित किया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन एच -1 बी वीजा को प्रतिबंधित कर रहा है, मैक्सिकन प्रवासियों को वापस लौटा रहा है और विदेशी छात्रों के लिए काम के वीजा को और अधिक मुश्किल बना रहा है। इनमें से कोई भी किसी संधि का उल्लंघन नहीं करता है। ब्रैक्सिट यूरोपीय आव्रजन को प्रतिबंधित करने के लिए एक संधि को अस्वीकार करने का एक उदाहरण है। कई यूरोपीय देशों में गैर-यूरोपियन आव्रजन का विरोध हो रहा है।

व्यापार संधि दायित्वों द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में प्रतिगमन का स्पष्ट प्रमाण है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद कई देशों ने संरक्षणवादी उपायों की शुरुआत की। इस समय केवल 3% वैश्विक व्यापार को कवर किया गया था और यह सोचा गया था कि स्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि स्थिति सामान्यीकृत है। इसके बजाय कवरेज 5% तक बढ़ गया। अमेरिका, एक समय व्यापार उदारीकरण के पक्ष में सबसे आगे खड़ा था, लेकिन अब वह ट्रांस-पॅसिफिक पार्टनरशिप, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दक्षिण कोरिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते जैसे व्यापार समझौतों से वापस जा रहा है। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी वचनबद्धता भी विचाराधीन है, क्योंकि इसने अभी तक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के लिए एक राजदूत नियुक्त नहीं किया है। इसने विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान निकाय में रिक्त पदों के लिए प्रतिस्थापन भी अनुमोदित नहीं किया है, जो विश्व व्यापार संगठन के सबसे महत्वपूर्ण परिचालन हथियारों में से एक है।

क्या करें?

पश्चिम में भूमंडलीकरण विरोधी कार्रवाई को मान्यता देने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, वो भी इस सोच पर कि विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण अच्छा रहा है। इन देशों ने औद्योगिक देशों की तुलना में तेजी से वृद्धि की है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उनका हिस्सा बढ़ा है। यह निश्चित रूप से सही है कि समावेशी वैश्वीकरण को क्यों दिया जाना चाहिए। एशियाई देश में बड़े लाभान्वार चीन के नेतृत्व में हैं, लेकिन भारत भी इस समूह में शामिल है। भले ही देशों के भीतर असमानता में वृद्धि हुई हो फिर भी वैश्विक गरीबी में और अंतर-देश असमानता में बहुत कमी आई है। दूसरे शब्दों में कहे तो, वैश्वीकरण ने दुनिया को अधिक समावेशी बना दिया है। इसलिए हमें एक नये समावेशी 'वैश्वीकरण 2.0' के लिए समर्थन का निर्माण करने के लिए मजबूर होना होगा, जो अनिवार्य के साथ आवश्यक को खारिज कर देगा। हम प्रवास पर चिन्तिति नहीं है, जबकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हालांकि, वित्त और व्यापार दोनों में एक अंतर बनने की संभावना पूरी है।

वित्तीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग

वैश्वीकरण की सफलताओं में से एक यह है कि निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) के रूप में प्रवाहित होते हैं और यह विश्व बैंक समूह और एडीबी के प्रवाह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। औद्योगिक देशों के अनुसार, इस बात का अर्थ यह है कि भारत जैसे देशों को अब विश्व बैंक / एडीबी की जरूरत नहीं है। हांलाकि, यह पूरी तरह से गलत है। यह मामला है संस्थानों को एक नया जनादेश देने का; भारत जैसे अर्थव्यवस्थाओं की अवसंरचना की जरूरतों को पूरा करने में मदद करना जो कि मध्य-आय वाले वर्ग के नीचे दर्ज किए हैं।

एडीबी ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि भारत को बुनियादी ढांचे पर अब तक 2030 तक 4.4 खरब डॉलर खर्च करने की जरूरत है। वर्तमान वार्षिक स्तर 120 अरब डॉलर के साथ अगले एक दशक में बुनियादी ढांचे के निवेश में भारी वृद्धि हुई है। यह केवल तभी संभव है यदि हम किसी निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। औद्योगीकृत देश आमतौर पर तर्क देते हैं कि निजी पूंजी बाजार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त पूंजी है, ऐसे में भू-अधिग्रहण, वन मंजूरी, पर्यावरणीय प्रभाव की अनुमति आदि जैसे कार्यान्वयन की समस्याएं दूर हैं। ये बाधाएं वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, क्या यह परियोजना सार्वजनिक या निजी क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है। हालांकि, माना जाता है कि जोखिम के कारण

निजी क्षेत्र को वित्तपोषण की विशेष समस्याओं का सामना करना होगा। यह वह जगह है जहां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान मदद कर सकते हैं। वे पीपीपी अनुबंधों के डिजाइन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास ला सकते हैं और विवाद समाधान के तंत्र का सुझाव देते हैं जो जनता की जरूरतों को पूरा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस परियोजना में वित्तीय हिस्सेदारी लेने के द्वारा, वे निजी निवेशकों को आश्वस्त करने में मदद कर सकते हैं कि पीपीपी के समक्ष कोई बाधा या अचानक से बदलाव नहीं आएगा।

20 वित्त मंत्रियों के समूह ने हाल ही में सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री थर्मन शनमगुर्तनम के तहत एक प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह नियुक्त किया गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधारों की सिफारिशें की जा सकें। हमें विश्व बैंक और एडीबी की ऋण क्षमता के एक बड़े विस्तार की सिफारिश करने के लिए समूह से आग्रह करनी चाहिए ताकि आधारभूत संरचना में पीपीपी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराया जा सकें। यह मामला विशेष रूप से मजबूत हो जाता है यदि बुनियादी ढांचा सही है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बनाया गया है तो।

व्यापार नीति के मुद्दें

हमें खुले व्यापार नीति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने की जरूरत है और पश्चिम में बढ़ते संरक्षणवाद के बारे में शोर से विचलित नहीं होना चाहिए। यह संभावना नहीं है कि हमें महत्वपूर्ण संरक्षक कार्रवाई के अधीन किया जाएगा। हम दुनिया के एक हिस्से में स्थित हैं जिसकी सबसे तेजी से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है और व्यापार का सबसे तेज विकास हो रहा हैं और यहाँ संरक्षणवाद का कोई ज्वार नहीं है। इसके विपरीत, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) और उसके छह सहयोगियों (जापान, कोरिया, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के बीच क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के समझौते के रूप में एकीकरण के लिए एक मजबूत प्रयास किया जा रहा है।

हम पारंपरिक रूप से विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता को देखते हुए व्यापार को उदारीकरण का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। यह सच है, लेकिन दोहा राउंड के साथ ही आधिकारिक रूप से यह मृत समान है, हमें यह समझना होगा कि बहुपक्षीय मोर्चे पर प्रगति बहुत कम है। इसलिए आरएसईपी को सफलतापूर्वक निष्कर्ष देना होगा। आरसीईपी देशों में एक मजबूत धारणा है कि भारतीय उद्योग सरकार पर समझौता नहीं करने के लिए दबाव बना रही है। इसलिए यहाँ डट कर मुकाबला करने की आवश्यकता है। उद्योग को यह आश्वस्त करने की जरूरत है कि वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जाए। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) राज्य के करों के समान एक स्तर के खेल मैदान के अभाव की देखभाल करता है। हालांकि, उलटे टैरिफ संरचना की समस्या बनी हुई है। यह इनपुट पर कटौती को कम करने के द्वारा हल किया जा सकता है, जहां यह बहुत अधिक है। चूंकि आरसीईपी के तहत टैरिफ में कटौती एक अवधि में लागू होगी, इसलिए हमारे टैरिफ संरचना को आकार में लाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। अगर भारतीय उद्योग को पता है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो विरोध कम होगा। यह वाणिज्य मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा सकता है लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

आगे देखते हैं, वैश्वीकरण 2.0 व्यापार में नई समस्याएं पेश करेगा। भविष्य में व्यापार वार्ता में, औद्योगिक देशों के मानकों के अनुरूप होने पर टैरिफ कटौती और अधिक पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। हम व्यापारिक वार्ता के लिए अनुपयुक्त जैसे 'सीमा के पीछे' मुद्दों को पारंपरिक रूप से देख चुके हैं। आर्थिक सिद्धांत इसका सुझाव नहीं देता है कि प्रति व्यक्ति आय के विभिन्न स्तरों पर सभी देशों के लिए एकीकृत मानक आदर्श हैं। हालांकि, इस दिशा में जाने के दबाव का विरोध करना मुश्किल होगा, खासकर तब जब यह उपभोक्ता की रक्षा के लिए किया जाता है, उदाहरण के तौर पर कपड़ों के लिए प्रयुक्त कपड़ों में इस्तेमाल किए जाने वाले रंगों के प्रकार या खाद्य उत्पादों के मामले में अनुमोदित प्रकार को निर्दिष्ट करते हैं।

मानक संरक्षणवाद का एक नया रूप बन सकता है, क्योंकि उत्पाद जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें औद्योगिक देश के बाजारों तक पहुंच से वंचित किया जाएगा। हम हमेशा अपने घरेलू मानकों के अनुरूप होने से इनकार कर सकते हैं और हमारे उत्पादकों को छोड़ सकते हैं जो उच्च मानकों को अपनाने के लिए निर्यात करना चाहते हैं। हालांकि, यह दो समस्याओं को प्रस्तुत करता है, जिसमें सबसे पहला है, यदि हमारे प्रतिद्वंद्वी देश व्यापार समूहों में शामिल होते हैं जो मानकों के अनुरूप होते हैं, तो समूह उन देशों से निर्यात के लिए सख्त परीक्षण कर सकता है जो एकजुट नहीं होते हैं, क्योंकि यह हमारे निर्यातों को कम प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। दूसरा, यदि हम घर पर कम मानकों को बनाए रखते हैं, तो फर्मों को निर्यात करना चाहते हैं, उन्हें उच्च लागतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें घरेलू बाजार में नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके घरेलू प्रतिस्पर्धियों को इन लागतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि आरसीईपी मानकों (कम से कम अभी तक नहीं) का पालन नहीं करता है, अब इसमें शामिल होने का मामला है, इसलिए और जब मानकों के मुद्दे उठाए जाते हैं तो हम बाहर की बजाय अंदर हो।

वैश्वीकरण 2.0 में एक नया मोड़ औद्योगिक नीति की भूमिका होगी। अतीत के सफल निर्यातकों अर्थात जापान, कोरिया और चीन, ने टैरिफ कम करने के लिए निष्क्रिय नीति का पालन नहीं किया और अन्य की तरह बाजार में प्रतिस्पर्धा की प्रतीक्षा की। उन्होंने एक अधिक सक्रिय औद्योगिक नीति का पालन किया और यह तर्क दिया कि हमें उस अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। इसमें बहुत कुछ है कि सरकार को अवसंरचना और सहायक नीति के माहौल प्रदान करने के मामले में क्या करना चाहिए। हालांकि, औद्योगिक नीति का अर्थ है कि ऐसी कंपनियां चुनी जाएं जिनमें संभावित विजेता बनने की संभावना हो और उन्हें विशेष मदद और सब्सिडी प्रदान किया जाये। हांलाकि, हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को देखते हुए और क्रूर पूंजीवाद के व्यापक संदेह को देखते हुए, यह संदेह है कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वैश्वीकरण 2.0 की दुनिया में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं।

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322
GS World

इससे संबंधित तथ्य

मुक्त व्यापार संधि (Free Trade Agreement - FTA)

- मुक्त व्यापार संधि का प्रयोग व्यापार को सरल बनाने के लिये किया जाता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है।
- इसका एक बड़ा लाभ यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह संधि की जाती है, उनकी उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इसके लाभ को देखते हुए दुनिया भर के बहुत से देश आपस में मुक्त व्यापार संधि कर रहे हैं।
- इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इससे वैश्विक व्यापार को बढ़ाने में भी मदद मिलती रही है। हालाँकि कुछ कारणों के चलते इस मुक्त व्यापार का विरोध भी किया जाता रहा है।

एफटीए से संबंधित वैश्विक अनुभव

- ऐसे देश जो वस्तु एवं सेवाओं के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, वे एफटीए के जरिये तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ कमा सकते हैं। फिर भी एफटीए के माध्यम से हर कोई लाभ कमाता है, लेकिन आज एफटीए की प्रचलित अवधारणा और वास्तविकता के बीच टकराव देखने को मिल रहा है।
- विदित हो कि 'उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता', जिसे 1994 में लागू किया गया था, मैक्सिको को निर्यात के कारण 200,000 नई नौकरियाँ पैदा करने वाला था, लेकिन 2010 तक अमेरिका की मैक्सिको के साथ व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हुई और लगभग 700,000 रोजगार समाप्त हो गए।
- 2010 में अमल में लाये गए यूएस-कोरिया मुक्त व्यापार समझौते का उद्देश्य अमेरिकी निर्यात और नौकरियों में वृद्धि करना था, लेकिन तीन साल बाद व्यापार घाटा और बढ़ गया।
- उल्लेखनीय है कि वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, भारत एवं चीन के उदय और कम लागत वाले श्रम बाजारों को इन परिस्थितियों का जिम्मेदार ठहराया गया।

भारत और एफटीए

- यद्यपि भारत 1947 से ही गेट (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) का एक संस्थापक सदस्य था, जो अंततः 1995 में विश्व व्यापार संगठन में बदल गया था, लेकिन भारत 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद एफटीए को लेकर गंभीर नजर आया। इसका प्रभाव यह हुआ कि भारत का व्यापार-जीडीपी अनुपात उल्लेखनीय स्तर पर जा पहुँचा।
- दरअसल, दोहा दौर की वार्ताओं में अंतहीन देरी के कारण ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि भारत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों के संबंध में स्वयं के स्तर से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा।
- इसी क्रम में यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership & RCEP) को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। यह तकनीकी स्तर पर आरसीईपी व्यापार वार्ता समिति की बैठक का 19वाँ दौर है।
- विदित हो कि आरसीईपी में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता है। भारत RCEP पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह समझौता, इसमें शामिल एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी 16 देशों के बीच संतुलित हो, जिससे कि इस मेगा व्यापार समझौते का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। भारत के कुछ समूह इस समझौते का विरोध भी कर रहे हैं।

क्या है RCEP ?

- यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- इस बारे में हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बंद कमरों में वार्ता जारी है। यह तकनीकी स्तर पर आरसीईपी व्यापार वार्ता समिति की बैठक का 19वाँ दौर है। इसके अलावा, अब तक चार मंत्रिस्तरीय बैठकें और तीन अंतर सत्रीय मंत्रिस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं।
- भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

संभावित प्रश्न

प्र.: ''हमें खुले व्यापार नीति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहने की जरूरत है और पश्चिम में बढ़ते संरक्षणवाद के बारे में हो रहे हंगामें से विचलित नहीं होना चाहिए।'' इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

Q.: 'We need to remain committed to maintaining our open trade policy and should not be distracted by the rising ruckus of protectionism in the west.' Analyse this statement. (200 words)